

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2015

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip further to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Paradip Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Paradip Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

1. Short Title and commencement

- (i) These Regulations may be called "the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015".
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12- 'SERVICES SELECTION COMMITTEE', the words "Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping- Chairman" shall be substituted by the following:-

"Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD- Chairman"

[F. No.PR-12016/2/2015-PE-I]

B. POIYAAMOZHI, Development Advisor (Ports)

Foot Note:- Principal Regulations published vide GSR No. 386(E) dated 12.5.2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि.820(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा -132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे और संशोधन करने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को एतद्वारा अनुमोदन देती है तथा यह इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्धारित है।

2. कथित विनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, बशर्त कि कथित अधिनियम की धारा-124 के तहत इसे केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है और यह राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2015/ कार्तिक 8, 1937

No. 669]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/ KARTIKA 8, 1937

रोट परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि 819(अ).-महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यायी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यास का न्यायी बोर्ड पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- ये विनियम, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहलाएंगे।
- वे भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2011 में, विनियम 12 के उप विनियम (2) (क) के अर्धीन "संयुक्त सचिव (पत्तन), रोट परिवहन मंत्रालय -अध्यक्ष" के स्थान पर निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"रोट परिवहन मंत्रालय में पी.एच.आर.डी का देखभाल कर रहे संयुक्त सचिव -अध्यक्ष"

[फा.सं. पी.आर-12016/2/2015-पी.ई-1]

डी. पियामोड़ी, विकास सलाहकार (पत्तन)

नोट-मूल विनियम से भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण में अधिसूचना सं. सा.का.नि-386(अ) दि.12 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।